



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57068-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 8120 वर्ष 2026

स्वास्तिक इंफ्राटेक और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष गांगुली, प्रणब कुमार गांगुली, उत्सव

सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 06.02.2026 को पारित आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को पीडब्ल्यूडी के निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

23.12.2025 को याचिकाकर्ता को कार्य आदेश संख्या सीबी- संख्या 190/ईई/2025-26 जारी किया गया था, जो कानपुर में मलौन क्रॉसिंग से करबला तालाब लिंक रोड की विशेष मरम्मत के लिए था। याचिकाकर्ता का कहना है कि 26.11.2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री को आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके साथ 19.01.2026 का एक हलफनामा भी संलग्न था। जिसमें कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं और बाहरी लोगों के प्रभाव को उजागर किया गया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ता की तथाकथित व्हिसलब्लोइंग गतिविधि से स्थानीय विधायक और उनसे जुड़े अन्य ठेकेदार नाराज हो गए और उन्होंने याचिकाकर्ता के बेटे आयुष तिवारी को धमकाया और उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के बेटे ने 26.01.2026 को चौबेपुर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि बिल्हौर के विधायक द्वारा प्रतिवादियों पर डाले गए दबाव के कारण ही 27.01.2026 को जूनियर इंजीनियर द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जवाबी फायरिंग की सूचना दर्ज की गई थी। उसी दिन, कार्यवाहक अभियंता, प्रांतीय

मंडल (पीडब्ल्यूडी, कानपुर) ने 27.01.2026 को अपने निरीक्षण के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के पुत्र ने कनिष्ठ अभियंता को धमकी दी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थी और निरीक्षण में कार्य निम्न स्तर का और विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता की फर्म ने 29.01.2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कथित तौर पर बिंदुवार उत्तर दिया गया था और यह भी कहा गया कि सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके बाद, 03.02.2026 को, पीडब्ल्यूडी, कानपुर सर्कल के अधीक्षण अभियंता ने एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता की फर्म के स्वामी को निर्देश दिया गया कि क्या उन्होंने अपने पुत्र आयुष तिवारी को अपनी ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिकृत किया था। याचिकाकर्ता ने 05.02.2026 को अपने जवाब में स्वीकार किया कि उनका पुत्र फर्म के हित में कार्य कर रहा था और संपूर्ण पत्राचार पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करना, जिसके तहत उसे पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है, दुर्भावनापूर्ण था और याचिकाकर्ता द्वारा की गई व्हिसलब्लोइंग गतिविधि के कारण किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उसने स्थानीय विधायक और अन्य ठेकेदारों के बीच घनिष्ठ सांठगांठ का खुलासा किया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पर विधायक के गुंडों ने उक्त शिकायत के कारण हमला किया, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने 26.01.2026 को एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आगे कहा कि ठीक अगले दिन यानी 27.01.2026 को जूनियर इंजीनियर द्वारा उनके बेटे के खिलाफ जवाबी फायरिंग दर्ज कराई गई थी।

5. याचिकाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का कारण, जिसके अनुसार प्रतिवादी-राज्य का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया था, जिसमें उसे सड़क की 5 सेमी मोटाई की मरम्मत करने का निर्देश दिया गया था, जबकि निरीक्षण से पता चलता है कि सड़क की परत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केवल 3 सेमी और अधिकतम 4 सेमी थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि प्रतिवादियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया है, फिर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका खंडन किया है और अपने उत्तर में याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि कोई कार्य निर्धारित विनिर्देशों के विपरीत किया गया था, तो कार्य की निगरानी के लिए उपस्थित कनिष्ठ अभियंता को निर्णय लिया जाना चाहिए था। हालांकि, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं है। पीडब्ल्यूडी के पर्यवेक्षक के रूप में कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति यह नहीं दर्शाती कि याचिकाकर्ता को विनिर्देशों के अनुरूप कार्य करने की अनुमति दी गई थी। जूनियर इंजीनियर की ज़िम्मेदारी माप पुस्तिका को बनाए रखना है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के बिलों को बाद में मंजूरी दी जानी थी, यह पाए जाने पर कि उसके द्वारा किया गया कार्य विनिर्देशों के अनुरूप था। इसलिए, केवल इसलिए कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ प्रतिवादी-राज्य/पीडब्ल्यूडी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसका यह अर्थ नहीं है कि याचिकाकर्ता ने विनिर्देशों के अनुरूप कार्य किया था।

6. इन परिस्थितियों में, याचिका में या उससे संलग्न दस्तावेजों के माध्यम से कोई विशिष्ट कथन नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि पीडब्ल्यूडी का यह दावा गलत है कि कार्य विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था, और दिनांक 27.01.2026 की निरीक्षण रिपोर्ट का कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र तर्क यह है कि उन्होंने प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की, जिससे यह न्यायालय सहमत नहीं है। यह इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ब्लैकलिस्टिंग अन्यायपूर्ण है।

7. यहाँ यह देखना और बताना आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता को दो कारण बताओ नोटिस के माध्यम से अपनी सेवा में कमी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसका उसने कोई विशेष खंडन नहीं किया। ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया राज्य का विशेषाधिकार है, जिसके तहत ठेकेदारों से काम छीन लिया जाता है और इस न्यायालय की राय है कि एक वर्ष की अवधि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता का व्यावसायिक अस्तित्व समाप्त हो जाए, और यह उसके द्वारा किए गए कार्य की निम्न गुणवत्ता के अनुरूप है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों में, ऊपर दिए गए तर्कों, विचारों और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

19 मार्च, 2026

सुमित के.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।